न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या–32 / 2019

अनवान

01. चौखाराम पुत्र अर्जुनराम के कायम मुकामः–
1 / 1. जोगली पत्नी स्व० चौखाराम
1 / 2. बाबूलाल पुत्र स्व० चौखाराम
1 / 3. रामप्रकाश पुत्र स्व० चौखाराम
1 / 4. श्रवणराम पुत्र स्व० चौखाराम
1 / 5. सहीराम पुत्र स्व० चौखाराम
1 / 6. देवाराम पुत्र स्व० चौखाराम
1 / 7. कमली पुत्री स्व० चौखाराम

सभी जातियान् विश्नोई निवासीगण – अर्जुन नगर, ग्राम गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीराम पुत्र स्व. खेराजराम
2. भेपाराम पुत्र स्व. खेराजराम
3. चौथी पत्नी स्व. धन्नाराम जाति विश्नोई निवासी मंगलनगर, गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. देवली पुत्री धन्नाराम, पत्नी रामस्वरूप निवासी गांव रोहिचा कलां तहसील लूणी
5. जैतकी पुत्री खेराजराम पत्नी तेजाराम निवासी गांव गोदावास तहसील पचपदरा
6. मिमली पत्नी भंवरलाल पुत्री खेराजराम निवासी गांव जोलियाली तहसील जोधपुर
7. मीरा पत्नी सुखदेव पुत्री खेराजराम निवासी गांव बालाजीनगर गुडा विश्नोईयान
8. बुधकी पत्नी स्वरूपराम पुत्री खेराजराम निवासी बालाजीनगर गुडा विश्नोईयान
9. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह चम्पावत।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

–: निर्णय :– दिनांक 05-6-26

1. प्रार्थना प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या–635, 510 / 1, 353 / 4 जो कि प्रार्थी के हिस्से में आया हुआ है जिसमें अप्रार्थीगण प्रार्थी के द्वारा भूमि के उपयोग उपभोग व खेती में बाधा उत्पन्न कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम के अनुसार, साथ ही खसरा संख्या–24 / 1 रकबा 35 बीधा जो कि बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हिस्से में बराबर बराबर आया हुआ है परन्तु तरमीमसुदा नहीं है। उक्त खसरे की भूमि पर जब तक प्रार्थी व प्रार्थी के भाई स्व. खेराजराम के मध्य हुए बंटवाड़े राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो, तब तक अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण, ऋण अथवा सरकारी सब्सिडी प्राप्त न करें।

2. प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की विवादाग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

510/1 ग्राम गुडा विश्नोईयान तथा खेत खसरा नम्बर 353/4 ग्राम मंगल नगर तथा खेत खसरा नम्बर 24/1 ग्राम खेजड़ली कलां में स्थित भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य प्रार्थी के बताये अनुसार बंटवाडा नही हुआ था। स्व० अर्जुनराम जी फौत होने के पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थीगण उत्तराधिकारीगण होने के नाते राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार काश्तकार है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं। इसलिए प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

- हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जिसके बाद धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तीनों आवश्यक बिन्दुओं **प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति** एवं **सुविधा का संतुलन** का विवेचना करना अतिआवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त खातेदारी भूमियॉ है। एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं किया जा सकता है। सहखातेदार होने से वादग्रस्त भूमि के हर हिस्से पर उभयपक्षकारान का कब्जा होने की अवधारणा विधिसम्मत है। अतः तीनों बिन्दु किसी एक पक्ष के पक्ष में बिना किसी ठोस कारण निर्णीत नहीं किये जा सकते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 05-6-26 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी